



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,

इन्दौर - 452 001

क्रमांक : पीएच.डी. प्रकोष्ठ/2018/180

दिनांक : 31/03/2018

आदेश

राज्यपाल के प्रमुख सचिव के आदेश क्रमांक 203/रा.श./यूए-3/2018 दिनांक 19 फारवरी 2018 के अनुसार पीएच-डी. हेतु गठित शोध उपाधि समिति के समक्ष अभ्यर्थियों के साक्षात्कार एवं बाह्य परीक्षक द्वारा मौखिक साक्षात्कार की प्रक्रिया को अधिक अनुशासित एवं पारदर्शी बनाने तथा जन विश्वास की दृष्टि से शोध उपाधि समिति के समक्ष शोधार्थी के साक्षात्कार एवं बाह्य परीक्षक द्वारा लिये गये साक्षात्कार की सीसीटीवी/आडियो/विडियो विजुअल रिकार्ड कराकर मौखिकी परीक्षा प्रतिवेदन के साथ विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से भेजा जावे। मौखिकी परीक्षा प्रतिवेदन के साथ रिकार्डिंग न भेजने पर मौखिक परीक्षा को मान्य नहीं किया जावेगा।

यह जारी किये गये आदेश की दिनांक से प्रभावशील रहेगा।

Bhumesk Gupta

प्रभारी (पी-एच.डी. प्रकोष्ठ)

पृष्ठांकन क्रमांक : पीएच.डी. प्रकोष्ठ/2018/180

दिनांक : 31/03/2018

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक/समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
2. सहायक कुलसचिव, शैक्षणिक विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/अधिष्ठाता/सम्बद्ध महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
4. विभागाध्यक्ष/संचालक/निदेशक समस्त अध्ययनशाला/संस्थान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
5. विभागाध्यक्ष, आय.टी.सेंटर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
6. ग्रंथपाल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

Bhumesk Gupta

प्रभारी (पी-एच.डी. प्रकोष्ठ)